

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि0न0 367 / 2025

1. जसपाल सिंह पुत्र बलबीर सिंह जाति जाट निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम्
1. जसवन्त सिंह } सहारण पि0 बलबीर सिंह जाति जाट निवासीयान बशीर तहसील टिब्बी
2. जयपाल सहारन } जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 28/8/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषगर्ग व प्रतिवादी वकील करनैलसिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. वादी जसपाल सिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 1 डीपीएम के प0न0 198 / 234 मु0 20 किलानं0 14,17,18,19,20, प0न0 199 / 234 मु0 19 किलानं0 19

ख.प्रतिवादी सं0 1 जसवन्त सिंह सहारण को प्राप्त आराजी:- चक नं० 1 डीपीएम के प०न० 196 / 233 मु० 12 किलानं0 5 / 1, 5 / 2, 6 / 1, 6 / 2, 15 / 1, 15 / 2 कुल .759 है0 मय गै०मु० खाला

ग. प्रतिवादी सं0 2 जयपाल सहारन को प्राप्त आराजी:- चकनं० 1 डीपीएम के प०न० 197 / 234. मु0 21 किलानं0 1 / 1, 1 / 2, 2 / 1, 2 / 2 कुल 0.506 है0 मय गै०मु० खाला इसी अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28/8/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



28
(सत्यनारायण आर.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।